न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 153/2020 | तारीख दायर 11–09–2020 | तारीख फैसला 25/04/2022

उनवान

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोडद्व आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

—————:: वादी

बनाम

01. मोखासिंह पुत्र श्री नारायणसिंह
02. दयाकौर पत्नी श्री दुल्लासिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम झुण्डपुरी तहसील तिजारा जिला अलवर
03. प्रकाश कौर पत्नी श्री भगतसिंह
04. सददाकौर पत्नी श्री सोहनसिंह
05. धन्नासिंह पुत्र श्री अमीरसिंह
06. पारो बाई पत्नी श्री दीवानसिंह
07. सुरजनसिंह
08. कश्मीरसिंह पुत्रान श्री दीवानसिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
09. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

——————:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 669 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। योगेश शर्मा को विवादित आराजी के संबंध में पूर्ण जानकारी है व वादी कम्पनी की ओर से समस्त विधिक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। विवादित आराजी वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त कब्जे काश्त शामलात खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में वादी कम्पनी का 1/3 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो रहा है। जिस पर वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 मुताबिक अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है। रिकार्ड में शामलात राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 अपने अपने हिस्से के अनुरूप मौके पर उक्त आराजी पर काबिज एवं दाखिल है। किन्तु आज तक लिखित रूप में पक्षकारान के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है और राजस्व रिकार्ड में शामलात में ही काबिज व दाखिल चले आ रहे है। हर इंच पर

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

हिस्सेदार का हिस्सा है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस आज कोई तकासमा नही हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का सर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 अनुपस्थित इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई । प्रतिवादी संख्या 9 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया। ी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील ने वाद को म्भिक डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण मे दिनांक 07-01-2021 को प्रारम्भिक डिकी जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर युक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलब की गई।

चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र कमांकः भूअ./2022/5039 दिनांक 04-04-2022 के द्वारा प्रकरण कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिकी किये जाने हेतु निवेदन या। कुरे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिकी किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिकी किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 669 रकबा 0.19 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के श दिये जाते है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्रा0लि0 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली जर्ये डायरेक्टर विपुल गोयल पुत्र रोहताश गोयल महाजन सा. 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार	669	0.0433	चाही 2	0.5998
02.	दयाकौर पत्नी दूला सिंह हि0 2167/14670 कश्मीर पुत्र पारोबाई पत्नी सुरजन पुत्र दीवान सिंह हि0 200/1467 धन्नासिंह पुत्र अमीर सिंह हि0 200/1467 गैर खातेदार प्रकाश कौर पत्नी भगतसिंह हि0 2167/14670 सददकौर पत्नी सोहन हि0 200/1467 गैर खातेदार सोखा सिंह पुत्र नारायण सिंह हि0 2168/7335 रायसिख सा. देह खातेदार	669/1	0.1467	चाही 2	2.0302

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। र्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
153 / 2020	11-09-2020	25/04/2022

उनवान

01. शम्भुनाथ प्रोपटीज प्राईवेट लिमिटेड, 144 / 2 मथुरा रोडद्व आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

-----:: वादी

बनाम

01. मोखासिंह पुत्र श्री नारायणसिंह
02. दयाकौर पत्नी श्री दुल्लासिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम झुण्डपुरी तहसील तिजारा जिला अलवर
03. प्रकाश कौर पत्नी श्री भगतसिंह
04. सददाकौर पत्नी श्री सोहनसिंह
05. धन्नासिंह पुत्र श्री अमीरसिंह
06. पारो बाई पत्नी श्री दीवानसिंह
07. सुरजनसिंह
08. कश्मीरसिंह पुत्रान श्री दीवानसिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
09. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: पर्चा डिकी ::-

हाल आराजी खसरा नम्बर 669 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) [illegible] फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्रा0लि0 144 / 2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली जर्ये डायरेक्टर विपुल गोयल पुत्र रोहताश गोयल महाजन सा. 144 / 2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार	669	0.0433	चाही 2	0.5998
02.	दयाकौर पत्नी दूला सिंह हि0 2167 / 14670 कश्मीर पुत्र पारोबाई पत्नी सुरजन पुत्र दीवान सिंह हि0 200 / 1467 धन्नासिंह पुत्र अमीर सिंह हि0 200 / 1467 गैर खातेदार प्रकाश कौर पत्नी भगतसिंह हि0 2167 / 14670 सददकौर पत्नी सोहन हि0 200 / 1467 गैर खातेदार सोखा सिंह पुत्र नारायण सिंह हि0 2168 / 7335 रायसिख सा. देह खातेदार	669 / 1	0.1467	चाही 2	2.0302

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)